राजस्थान सरकार

ायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

ासीन अधिकारी — सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

ास्व वाद सं.—127/2013

1. अमर सिंह पुत्र रूपाराम }
2. विधादेवी पत्नी अमर सिंह} जाति अहीर नि0 झाझा तह0 बुहाना झुन्झुनू राज।

.... **वादीगण**

बनाम

1. विमला देवी पत्नि दयाचन्द
2. मूर्तिदेवी पत्नि महेन्द्र सिंह
3. दयानन्द }
4. महेन्द सिंह} पुत्रान कन्हीराम
5. सुबेसिंह }
6. सरबति पत्नि कन्ही राम
7. बनवारी पुत्र देवा
8. लालाराम पुत्र भगवाना
9. मनफुल पुत्री भगवान पत्नि लालाराम समस्त जाति अहीर नि0 दोंगडा तह0 व जिला महेन्द्रगढ हरि0।
10. फुलपति पुत्री भगवाना पत्नि यशवंत नि. नानकवास तह. व जिला महेन्द्रगढ हरि।
11. जगना पुत्र हीरा
12. टीडो देवी पत्नि विशम्बर
13. राजपाल }
14. सत्यप्रकाश} पुत्रान विशम्भर जाति अहीर निवासी झांझा त. बुहाना, जि. झुन्झुनूं राज
15. संतोष पुत्री विशम्बर पत्नि बहादुर सिंह।
16. भानवति पुत्री विशम्बर पत्नि रामकुमार जाति अहीर नि. मुण्डीया खेडा तह. व जिला महेन्द्रगढ हरि।
17. मुन्नी पुत्री विशम्बर पत्नि सतीश कुमार नि. श्यामपुरा तह0 नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरि।
18. मेहरचन्द }
19. चिरंजीलाल} पुत्रान जालूराम
20. भानवति पत्नि बीरसिंह जाति अहीर नि. झांझा तह. बुहाना ज़िला झुंझुंनूं राज।**(बेचान/हजफ)**
21. भूमि धारक तहसीलदार बुहाना।
22. लालाराम पुत्र श्री श्रीराम जाति अहीर नि. झांझा तह. बुहाना, झुन्झुनूं राज.

......................**प्रतिवादीगण**

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:22:03 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

दावा– खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

–::निर्णय::–

दिनांक :– 17–08–2022

वादी का वाद रहा कि:–

1. वाके ग्राम बुहाना की सयुक्त खातेदारी भूमि ख0 न0 1104 रकबा 1.44 है0, ख0 न0 1105 रकबा 0.83 है0, ख0 न0 1106 रकबा 1.19 है0, ख0 न0 1107 रकबा 0.62 है0, ख0 न0 1108 रकबा 0.58 है0, ख0 न0 1109 रकबा 1.18 है0, ख0 न0 1110 रकबा 1.21 है0, ख0 न0 1111 रकबा 1.48 है0, ख0 न0 1264 रकबा 0.93 है0, ख0 न0 1265 रकबा 1.97 है0, ख0 न0 1269/1 रकबा 0.02 है0, ख0 न0 1310 रकबा 0.08 कुल किता 12 कुल रकबा 11.53 है0 स्थित है । इस भूमि मे से 5 बीधा 4 बिस्वा भूमि मे से वादी स0 1 का 9/16 हिस्सा है वादीया स0 2 का 28/128 हिस्सा है वादीया स0 2 वादी स0 1 की पत्नि है जो दोनो एक साथ मिलकर अपनी भूमि पर काबिज है अर्थात जहां वादी स. 1 का कब्जा था वही वादीया स. 2 ने भूमि खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था जो अब तक काबिज है।
2. वादी स0 1 का उपरोक्त भूमि के 5 बीधा 4 बिस्वा में 9/16 हिस्सा है तथा वादीया स. 2 का 28/128 हिस्से है जो अपने हिस्सा पर काबिज है लेकिन खाता संयुक्त रहने से वादीगण को अपने हिस्से की भूमि में सुधार कार्य करने सीमाए कायम रखने एवं मीटस एण्ड बाउण्ड में विभाजन बिना सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी नही हो सकती है इसलिए वादीगण के लिए अपने हिस्सा की भूमि का खाता विभाजन करवाया जाना आवश्यक हुआ है।

वाद पत्र पेश कर अनुतोश चाहा है कि –

(क). वाके ग्राम बुहाना की सयुक्त खातेदारी भूमि ख0 न0 1104 रकबा 1.44 है0, ख0 न0 1105 रकबा 0.83 है0, ख0 न0 1106 रकबा 1.19 है0, ख0 न0 1107 रकबा 0.62 है0, ख0 न0 1108 रकबा 0.58 है0, ख0 न0 1109 रकबा 1.18 है0, ख0 न0 1110 रकबा 1.21 है0, ख0 न0 1111 रकबा 1.48 है0, ख0 न0 1264 रकबा 0.93 है0, ख0 न0 1265 रकबा 1.97 है0, ख0 न0 1269/1 रकबा 0.02 है0, ख0 न0 1310 रकबा 0.08 कुल किता 12 कुल रकबा 11.53 है0 में 5 बीधा 4 बिस्वा में वादी स0 1 का 9/16 हिस्सा तथा वादीया स0 2 का 28/128 हिस्सा का खाता विभाजन कर लगान [illegible] अलग से कायम कर विभाजन में

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:22:03 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

वादीगण के हिस्सा मे आने वाली भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त करवाया जा कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किए जाने की कृपा करे।

(ख). प्रतिवादी स0 20 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वाके ग्राम बुहाना की सयुक्त खातेदारी भूमि ख0 न0 1104 रकबा 1.44 है0, ख0 न0 1105 रकबा 0.83 है0, ख0 न0 1106 रकबा 1.19 है0, ख0 न0 1107 रकबा 0.62 है0, ख0 न0 1108 रकबा 0.58 है0, ख0 न0 1109 रकबा 1.18 है0, ख0 न0 1110 रकबा 1.21 है0, ख0 न0 1111 रकबा 1.48 है0, ख0 न0 1264 रकबा 0.93 है0, ख0 न0 1265 रकबा 1.97 है0, ख0 न0 1269/1 रकबा 0.02 है0, ख0 न0 1310 रकबा 0.08 कुल किता 12 कुल रकबा 11.53 है0 में 5 बीघा 4 बिस्व में 9/16 हिस्सा तथा वादीया स0 2 का 28/128 हिस्सा में कब्जा काश्त में व्यवधान नहीं करे वादीगण के हिस्सा में जबरन कब्जा या हिस्सा दबाकर कच्चा या पक्का निर्माण नही करे ऐसा कृत्य ना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करवाये।

दावा दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल के बावजुद अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। श्री रोहीत पोषवाल एडवोकेट ने प्रार्थी लालाराम की ओर से प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रतिवादी सं. 20 ने अपने हिस्से की प्रश्नगत भूमि हाल ख. नं. 1108 की पूर्वी दिशा की 0.29 है. भूमि दिनांक 25.06.2014 को कय कर उसी रोज मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहें है। प्रतिवादी सं. 20 प्रश्नगत भूमि पर हाल ख. नं. 1108 रकबा 0.29 है. पर कब्जा काश्त था। उसी के समान प्रार्थी काबिज काश्त है। प्रतिवादी सं. 20 ने अपने हिस्से की कब्जे काश्त भूमि प्रार्थी को बेच दी है। अब उसका इस जमीन में कोई लेना देना नहीं है। प्रार्थी का प्रश्नगत भूमि में हित निहित है। इसलिए प्रतिवादी सं. 20 का इस वाद से नाम हजफ कर प्रार्थी श्री लालाराम पुत्र श्री श्रीराम जाति अहीर नि. झांझा को उसके स्थान पर प्रतिवादी प्रतिस्थापित किया जावे। प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर लालाराम को प्रतिवादी 22 के रूप में प्रतिस्थापित किया गया। प्रतिवादी 20 का नाम हजफ किया गया।

वादी की ओर से साक्ष्य दस्तावेज [illegible] जमा[illegible] सम[illegible] 2066–2069 एवं नक्शा किस्तवार प्रस्तुत किया।

दावा खाता एवं लगान विभाजन बाबत दिनांक [illegible]–2016 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार बुहाना को कुर्रेजात प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार बुहाना से कुर्रेजात

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:22:03 IST
Reason: SelfAttested

रिपॉर्ट क्रमांक 1664 दिनांक 14—06—2022 (इस कार्यालय को प्राप्त दिनांक 04—07—2022) को प्राप्त हुई । अधिवक्ता वादीगण ने न्यायालय हाजा उपस्थित होकर निवेदन किया हैं कि तहसीलदार बुहाना द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर हम सहमत है, मुताबिक विभाजन प्रस्ताव हमारा विभाजन किया जावे।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। अतः वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

—::आदेश::—

न्यायालय वाद में खाता एवं लगान विभाजन करना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम बुहाना की सयुक्त खातेदारी भूमि ख0 न0 1104 रकबा 1.44 है0, ख0 न0 1105 रकबा 0.83 है0, ख0 न0 1106 रकबा 1.19 है0, ख0 न0 1107 रकबा 0.62 है0, ख0 न0 1108 रकबा 0.58 है0, ख0 न0 1109 रकबा 1.18 है0, ख0 न0 1110 रकबा 1.21 है0, ख0 न0 1111 रकबा 1.48 है0, ख0 न0 1264 रकबा 0.93 है0, ख0 न0 1265 रकबा 1.97 है0, ख0 न0 1269/1 रकबा 0.02 है0, ख0 न0 1310 रकबा 0.08 कुल किता 12 कुल रकबा 11.53 है0 भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ—1 लगायत अ—3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ—1 लगायत अ—3" व नक्शा प्रदर्श " ब" के अलग—अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग—अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "'अ—1 लगायत अ—3" व नक्शा प्रदर्श " ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक **17-08-2022** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:22:03 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

ासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

जस्व वाद सं.– 127/2013

र्णय दिनांक :– 17–08–2022

अमरसिंह आदि बनाम विमला देवी आदि

दावा– खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

–:निर्णय:–

वादी की ओर से **श्री राजेश यादव एडवोकेट** की उपस्थिति में व प्रतिवादी सं. 22 की ओर से **श्री रोहित पोषवाल** की उपस्थिति में एवं शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 17–08–2022 को **सुनील कुमार चौहान, उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद में खाता एवं लगान विभाजन करना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम बुहाना की सयुक्त खातेदारी भूमि ख0 न0 1104 रकबा 1.44 है0, ख0 न0 1105 रकबा 0.83 है0, ख0 न0 1106 रकबा 1.19 है0, ख0 न0 1107 रकबा 0.62 है0, ख0 न0 1108 रकबा 0.58 है0, ख0 न0 1109 रकबा 1.18 है0, ख0 न0 1110 रकबा 1.21 है0, ख0 न0 1111 रकबा 1.48 है0, ख0 न0 1264 रकबा 0.93 है0, ख0 न0 1265 रकबा 1.97 है0, ख0 न0 1269/1 रकबा 0.02 है0, ख0 न0 1310 रकबा 0.08 कुल किता 12 कुल रकबा 11.53 है0 भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श " ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ""अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श " ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। निर्णय आज दिनांक **17-08-2022** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:22:03 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना